**सत्र परीक्षण संख्या–02/2015**
**राज्य बनाम गुड्डू**

**दिनांक–08.04.2022**

पत्रावली वास्ते ओदश पेश हुई। अभियुक्त गुड्डू उपस्थित आया। अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), आगरा उपस्थित आये।

**निस्तारण प्रार्थना पत्र 32ख व 33ख**

उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्र समान प्रकृति के है। अतः दोनों प्रार्थना पत्रों का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्रों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा 482 संख्या–18649/2021 में पारित आदेश के अनुपालन में उभयपक्ष को सुनकर गुण दोष के आधार पर शीघ्रतापूर्वक निस्तारित किया जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रार्थना पत्र 32ख व 33ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त सत्र परीक्षण बचाव साक्ष्य हेतु नियत है। प्रार्थी/अभियुक्त बचाव साक्ष्य के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ मौखिक साक्ष्य भी कराना चाहता है। दस्तावेजी साक्ष्य की सत्यप्रतिलिपियों से सम्बन्धित गवाह डॉ. ए.के. खान, तत्कालीन इमरजेन्सी मेडिकल ऑफीसर, एस.एन. मेडिकल कॉलेज, आगरा, डॉ. नितिन अग्रवाल, रेडियोलोजिस्टक इन्द्रा डायग्नोस्टिक सेन्टर, एस.एन. मेडिकल कॉलेज, आगरा, डॉ. विवेक सचदेवा, जीवन रेखा हॉस्पीटल, आगरा व कॉस्टेबिल क्लर्क भीम सिंह, चिक एफ.आई.आर. व जी.डी. लेखक अ0सं0–57/2013 थाना अछनेरा, जिला आगरा तथा प्रार्थी/अभियुक्त घटना के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी उदयवीर पुत्र फूलसिंह, अमर सिंह पुत्र नत्थी, वनय सिंह उर्फ बन्नो पुत्र अजमल, गिर्राज पुत्र साहब सिंह व रघुवीर पुत्र कल्याण सिंह को भी परीक्षित कराना चाहता है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2021 के अनुपालन में उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्रों पर अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), श्री रिषभ जैन तथा बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा को सुना।

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त सम्मानित आदेश के अनुक्रम में दिनांक 09.03.2022 को बचाव पक्ष को यह भी निर्देशित किया गया था कि किस साक्षी से किन–किन बिन्दुओं पर साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं, स्पष्ट करे जिसके परिप्रेक्ष्य में बचाव पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र 44ब/1 ता 4 प्रस्तुत कर किस साक्षी से किन–किन बिन्दुओं पर साक्ष्य प्रस्तुत करना है, उल्लिखित किया गया जो पत्रावलित है। बचाव पक्ष प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में डॉ. ए.के. खान, डॉ. नितिन अग्रवाल, डॉ. विवेक सचदेवा, कॉस्टेबिल क्लर्क भीम सिंह, उदयवीर, अमर सिंह, वनय सिंह उर्फ बन्नो, गिर्राज, रघुवीर को बचाव साक्ष्य के रूप में परीक्षित कराये जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित किए जाने की याचना की गई है।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), द्वारा विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण पूर्व में किया जा चुका

है। उक्त बचाव साक्षियों को तलब किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र निरस्त किए का कथन किया गया।

बचाव पक्ष द्वारा कथन किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों को पुनः उभय पक्षों को सुनकर निस्तारित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 24.11.2021 के आलोक में उपरोक्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाए। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि प्रस्तुत सत्र परीक्षण को गुण दोष के आधार पर निस्तारित किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र में वर्णित साक्षियों को तलब किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपने तर्क के समर्थन में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित सम्मानित विधि व्यवस्थाए प्रस्तुत की गई हैं।

1. **1968 Crl.L.J. 231 (Supreme Court) Jamatraj Kewalji Govani Vs State of Maharastra-** Criminal P.C.(1898), Section 540 Powers of Court under-Section '540, Criminal P.C. and Section 165, Evidence Act, between them confer wide jurisdiction –No limitation on power of court arising from stage to which trial may have reached, provided court is bonafide of opinion that for just decision of case step must be taken Evidence Act (1872) Section 165.

2- **2003 CRl.L.J. 4707 (Rajasthan High Court) Om Prakash Vs Rajasthan** Criminal P.C. (2 of 1947), d. 311 Examination of witness-Witness whose statement u/s 161 Cr.p.c. not recorded during investigation – Not barred from being examined u/s. 311. There in no bar that a witness, whose statement u/s. 161 Cr.P.C. had not been recorded at the time of investigation, cannot be allowed to examine u/s 311 Cr.P.C.Under Section 231 Cr.P.C. the Court is to take all evidence produced in support of the prosedution. Therefore, where the statement of witness is not recorded u/s. 161 Cr.P.C. but the prosecution with the prior permission of the Court produce such a witness, the acused cannot be said to have taken by surprise. When a witness examined in Court, whose statement has not been recorded at the time of investigation u/s. 161 Cr.P.C., the evidentiary value th b e attached to the evidence of such witness has to be looked into and if, it is found that prejudice has been caused to the accused, them the evidence of such witness may not be acted upon. The contention that only those witnesses can be exmined, whose statement have been recorded by the police u/s. 161 Cr.P.C. and find mention the list of witnesses submitted with the challan u/s. 173 Cr.P.C. if accepted, will render the provisions of Section 311 Cr.P.C. nugatory. These provisions namely, Ss. 161, 173 and 311 Cr.P.C. have got different object, scope and operate in different spheres.

3- **(2006 (Suppl.) ACC 165 (Supreme Court U.T. OF DADRA AND NAGAR HAVELI and another Vs FATEHSINH MOHAN SINH CHAUHAN-** Power to summon material witness, of examine person present Scope of section 311-Provision comprises of section 311-Provision comprises two parts-First part gives purely discretionary authority to the Criminal Court-Second part is mandatory-As

discretion conferred in the first part is very wide-Corresponding caution to be exercised by Court in exercising discretion conferred-For Summoning a witness under this provision-Only condition is that such evidence must be essential for the just decision of the case-Hence, calling of a witness-Who could prove or disprove the plea of alibi taken by the respondent-Accused facing a criminal trial-At a late stage of the trial-Could ot be termed as "filling up of lacuna by prosecution"-In facts of case Trial Court was justified in summoning the witness concerned under section 311 Cr.P.C.

4- **2007 CRl. L.J. 4313 (Supreme Court) Iddar & Ors. Vs Aabida & Anr.**(A) Criminal P.C. (2 of 1974), S. 311-Court's power to summon material witness-Not only for favour of accused-Witness favouring prosecution case also be examined-No matter even if it amounts to filling of loopholes in prosecution case.

**4- क्रिमिनल अपील नं0–709/2013 नताशा सिंह बनाम सीबीआई (स्टेट)** जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि धारा–311 द.प्र.सं. में वर्णित प्रावधानों का प्रयोग न्यायालय द्वारा अत्यधिक सावधानी एवं सद्भाविक रूप से किया जाना चाहिए तथा आदेश Strong or Valid reason को ध्यान में रखते हुए पारित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त प्रार्थना के माध्यम से बचाव पक्ष कॉस्टेबिल/क्लर्क भीम सिंह को भी बतौर प्रतिरक्षा साक्ष्य हेतु तलब करना चाहता है, परन्तु यहॉ यह उल्लेखनीय है कि कॉस्टेबिल/क्लर्क भीम सिंह बतौर अभियोजन साक्ष्य परीक्षित हो चुका है और बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा भी की जा चुकी है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि ऐसा अभियोजन साक्षी जो अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया जा चुका है, प्रतिरक्षा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

अतः उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं तर्कों, पत्रावली पर उपलब्ध सम्मानित विधि व्यवथाओं तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2021 को दृष्टिगत रखते हुए कॉस्टेबिल/क्लर्क भीम सिंह के अतिरिक्त अन्य प्रतिरक्षा साक्षीगण डॉ. ए.के. खान, डॉ. नितिन अग्रवाल, डॉ. विवेक सचदेवा, उदयवीर, अमर सिंह, वनय सिंह उर्फ बन्नो, गिर्राज व रघुवीर को बचाव पक्ष के रूप में परीक्षित कराए जाने हेतु तलब किया जाता है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र 32ख व 33ख निस्तारित किए जाते हैं। प्रतिरक्षा साक्षीगण जरिए समन तलब हों। पत्रावली वास्ते प्रतिरक्षा साक्ष्य 20.04.2022 को पेश हो।

(महेन्द्र कुमार–I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–12, आगरा